


# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

पत्रावली देवी ..... बनाम ..... अहम वजी .....  
किस्म मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ..... नं. 58 ..... सन् 2019

| तारीख हुकम<br>19.09.2022 | हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी मय  | नम<br>अह<br>हुकम |
|--------------------------|--|------------------|
|                          | <p>पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण मे कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"><br/>( दिलीप सिंह )<br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> |                  |

